5
5-1-22

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//the.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 4(18) आयो/आकाशि/वर्ग/2020-21/1059 दिनांक 04.01.2022

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट- प्रथम में लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिये अतिरिक्त वर्ग की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है –

क्र.स.	राजकीय महाविद्यालय का नाम, जिसको अतिरिक्त वर्ग अंतरित किया जाना है	राजकीय महाविद्यालय का नाम, जहां से वर्ग अंतरित किया जाना है	संकाय व अंतरित किये जाने वाले वर्गो की संख्या
1	राजकीय महाविद्यालय पुष्कर (अजमेर)	राजकीय कन्या महाविद्यालय डीडवाना (नागौर)	कला – 1 वर्ग
2	सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद	किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय कुंवारिया (राजसमंद)	कला – 1 वर्ग
		राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक	विज्ञान – 1 वर्ग
3	राजकीय महाविद्यालय जैतारण (पाली)	राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनूं	कला – 1 वर्ग
4	राजकीय महाविद्यालय, बालेसर (जोधपुर)	राजकीय कन्या महाविद्यालय लाडनूं (नागौर) व राजकीय महाविद्यालय बेगूं (चित्तौडगढ़) प्रत्येक से एक-एक वर्ग	कला – 2 वर्ग
5	राजकीय महाविद्यालय, मगरा-पूंजला (जोधपुर)	राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड़ (अलवर)	कला – 1 वर्ग
6	राजकीय महाविद्यालय बावड़ी (जोधपुर)	राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा (झुंझुनूं)	कला – 1 वर्ग

उक्त स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आयेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी अतिरिक्त सह-आचार्य /सहायक आचार्य/अन्य पदों का सृजन भविष्य में नहीं किया जावेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 4(18) आयो/आकाशि/वर्ग/2020-21 /1060-1068 दिनांक 04.01.2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक,(अकादमिक/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय।
9. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
10. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ7(4) प्रवेशनीति/अकाद/आकाशि/2022/पार्ट/ 631 दिनांकः 25 जुलाई, 2022

:: कार्यालय आदेश ::

समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अति पिछडा वर्ग (MBC)के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में कमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था।

अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवीन आरक्षण प्रावधानों के मद्दे नजर सभी संकायों में स्नातक पार्ट प्रथम ~~वर्ष~~ के लिए निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि करते हुए कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन में सीटों की संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय मे सीटों की संख्या 88 की जाती है। प्रवेश के समय सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों को बढी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा।

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में सभी संकायों मे वर्तमान सत्र 2022–23 में सीट मैट्रिक्स निम्नानुसार रहेगी –

संकाय/वर्ग	कुल संख्या	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अति पिछडा वर्ग	EWS
कला/वाणिज्य	100	36	16	12	21	05	10
विज्ञान	88	34	14	10	18 +	04	08
M.A M.com.	60	21	10	7	13	03	6

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रकिया में उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

नोट :– यह सीट मैट्रिक्स सांकेतिक है। सीट मैट्रिक्स का निर्धारण महाविद्यालय में संधारित रोस्टर रजिस्टर के अनुसार किया जाए। यह अभिवृद्धि केवल सत्र 2022–23 के लिए मान्य होगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड/ई–मेल करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

25.7.2022
(डॉ. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)